Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पटवारी 25 लाख 21 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 अक्टूबर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर शहर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बीरबलराम विश्नोई पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर को परिवादी से **25 लाख 21 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की खरीदशुदा जमीन का नामान्तकरण खोलेने एवं तरमीम करने के पश्चात जमाबन्दी, नामान्तकरण की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की एवज में बीरबलराम विश्नोई पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर द्वारा कुल जमीन में से **एक प्लॉट रिश्वत के रूप में रजिस्ट्री करवाने** अथवा **50 लाख रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** तथा एसीबी जोधपुर शहर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह** के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बीरबलराम विश्नोई पुत्र श्री खींयाराम निवासी 23, शिव विहार, मगरा पूंजला, गांधीनगर के पीछे, माता का थान रोड़, जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर को परिवादी से **25 लाख 21 हजार रूपये (21 हजार रुपये भारतीय मुद्रा एवं 25 लाख रुपये की डमी करेंसी)** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से शिकायत से पूर्व ही **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि वसूल ली गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।